

प्रेषक,

चन्द्रशेखर

सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,

गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ एवं चतरा।

राँची, दिनांक-01-10-2024

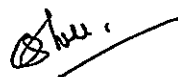
विषय :- स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि, उप शीर्ष-03-सर्किट भवन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल रू0 ₹31,25,000/- (रूपये एकतीस लाख पच्चीस हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-546, दिनांक-13.09.2024, उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-67, दिनांक-13.02.2024, उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-531, दिनांक-08.08.2024, उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-613, दिनांक-04.09.2024 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹31,25,000/- (रूपये एकतीस लाख पच्चीस हजार) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:-

| क्र0 | इकाई/जिला               | वेतन   | मजदूरी | वर्दी | अनुरक्षण, मरम्मत<br>एवं सुसज्जीकरण | कुल     |
|------|-------------------------|--------|--------|-------|------------------------------------|---------|
| 1    | गिरिडीह<br>(GRDDAD 026) | 0      | 0      | 0     | 1500000                            | 1500000 |
| 2    | धनबाद<br>(DHNDAD 015)   | 320000 | 0      | 5000  | 0                                  | 325000  |
| 3    | रामगढ़<br>(RGHDAD 046)  | 0      | 400000 | 0     | 500000                             | 900000  |
| 4    | चतरा<br>(CTRDAD 020)    | 0      | 400000 | 0     | 0                                  | 400000  |
| कुल  |                         | 320000 | 800000 | 5000  | 2000000                            | 3125000 |

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिलों के संबंधित DDO Code में दिया गया है।
3. दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मजदूरी इकाई में राशि आवंटित की जा रही है।
4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक-21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में



कृ0पृ0उ0

वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

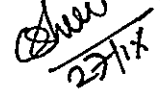
8. राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या-40 के अतिरिक्त विपत्र कोड का इकाईवार उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

10. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

11. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,



(चन्द्रशेखर)

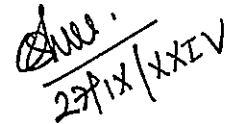
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

72/311 राँची, दिनांक- 01-10-2024

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित सभी जिला कोषागार

पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।  
(24)